जम्मू और कश्मीर की विशेष स्थिति को समाप्त करने का यह गलत तरीका है

लेखक - असावती पाचा (संपादक)

यह आलेख सामान्य अध्ययन प्रश्न-II (शासन व्यवस्था, राजव्यवस्था) से संबंधित है।

द हिन्दू

6 अगस्त, 2019

"जम्मू और कश्मीर की विशेष स्थिति कभी भी स्थायी नहीं थी, लेकिन इसे व्यापक परामर्श के बिना समाप्त नहीं किया जाना चाहिए था।"

जम्मू और कश्मीर अपनी पठकथा लिखे जाने के शुरुआती दशकों से और विशेष रूप से 2014 से हिंदुत्व राष्ट्रवाद का एक रंगमंच रहा है। भाजपा ने 2014 के बाद से अलगाववाद के खिलाफ अत्यधिक सैन्यवादी दृष्टिकोण को अपनाया और वहां के राजनीतिक प्रक्रिया पर पूरी तरह से रोक लगते हुए अपने लंबे समय से किए गए वादे को पूरा किया है, जहाँ इन्होंने जम्मू-कश्मीर को प्रदान की गयी विशेष स्थिति को निरस्त करने का प्रयास किया है, जो इसे (जम्मू-कश्मीर) कार्यकारी और संसदीय उपायों के संयोजन के माध्यम से संविधान से प्राप्त हुई थी।

इसके अलावा, राज्य को डाउनग्रेड करते हुए दो केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित किया जा रहा है। सरकार ने राज्यसभा के माध्यम से जम्मू-कश्मीर पर अपनी वैचारिक स्थिति को थोपने के लिए जिस तंत्र का इस्तेमाल किया, वह जल्दबाजी और विवेकहीन प्रतीत होता है। इस कदम से भारत के सामाजिक ताने-बाने पर असर पड़ेगा,जो न केवल जम्मू और कश्मीर पर, बल्कि भारत के संघवाद, संसदीय लोकतंत्र और इसकी विविधता पर भी असर डालेगा।

भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार ने 2014 के बाद से कई तरीकों से संसदीय प्राधिकरण को कम कर दिया है, लेकिन बिना किसी पूर्व परामर्श के किसी राज्य को अलग-अलग करने के लिए कानून पारित करना एक बेहद गंभीर समस्या है। गणतंत्र के संस्थापक एक मजबूत केंद्र के पक्षधर थे, लेकिन वे राष्ट्रीय एकीकरण के हित में भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यकों के प्रति अनुनय और आवास के मार्ग की तलाश में भी विवेकपूर्ण थे। अगले दशकों में केंद्रीकरण की प्रवृत्ति बढ़ी, लेकिन हिंदू राष्ट्रवादियों ने हमेशा मजबूत एकात्मक प्रावधानों के लिए तर्क दिया और सभी विशेष आकांक्षाओं को संदेह के साथ देखा। उनके लिए, जम्मू और कश्मीर की विशेष संवैधानिक स्थिति देश के बाकी हिस्सों के साथ क्षेत्र के एकीकरण के लिए एक साधन नहीं, एक बाधा थी।

संविधान के अनुच्छेद-370 को प्रभावी रूप से निरस्त करने की पूरी कवायद कार्यकारी शक्ति द्वारा चिह्नित की गयी है। पहला कदम राष्ट्रपति के उस फरमान को घोषित करना था, जिसके तहत् राज्यपाल, राज्य सरकार के स्थान पर बोल सकते हैं और जम्मू-कश्मीर के लिए भारत के संविधान को लागू करने के तरीके में किसी भी संशोधन के लिए अपनी सहमति दे सकते हैं। दूसरा, इस सहमति के आधार पर, नवीनतम राष्ट्रपति आदेश ने जम्मू और कश्मीर के लिए अलग संविधान के पुराने 1954 के आदेश को निरस्त कर दिया है। तीसरा, यह तथ्य कि राज्य, राष्ट्रपति शासन के अधीन है, का उपयोग एक नई व्यवस्था बनाने के लिए किया गया है, जिसके तहत जम्मू और कश्मीर एक विधायिका वाला केंद्र शासित प्रदेश बना और लद्दाख एक बिना विधायिका वाला केंद्रशासित प्रदेश बना।

संक्षेप में, एक संवेदनशील सीमा राज्य की संवैधानिक स्थिति को बदलने के लिए एक कथित प्रक्रिया अपने लोगों से किसी भी विधायी इनपुट या प्रतिनिधि योगदान के बिना हासिल की गई है। अतीत में राज्यों के विभाजन को पूर्व मिसाल के रूप में उद्धृत नहीं किया जा सकता है, क्योंकि संविधान के अनुच्छेद-3 के तहत, राष्ट्रपति संबंधित राज्यों की विधायिका की राय मांगता है विचारों की तलाश करता है, भले ही सहमति अनिवार्य नहीं है।

वर्तमान परिदृश्य में, जम्मू और कश्मीर का केंद्र द्वारा नियुक्त एक अनिर्वाचित राज्यपाल द्वारा प्रतिनिधित्व किया गया, जबकि संसद ने राज्य से किसी भी सिफारिश के बिना एक राज्य को दो केंद्रशासित प्रदेशों में परिवर्तित करने का कदम उठाया है।

अगर इन उपायों के लिए कोई कानूनी चुनौती है, तो यह इस बात के इर्द-गिर्द होगा कि क्या प्रतिनिधि सरकार की अनुपस्थिति में केवल राज्यपाल इस तरह के दूरगामी कदम के लिए संवैधानिक तौर पर पूरे राज्य के रूप में अपनी सहमति का उपयोग करने में सक्षम है। इसके अलावा, राष्ट्रपति का आदेश एक स्वयं-समर्थित पहलू है।

अनुच्छेद-370 के तहत राष्ट्रपति की शक्ति का उपयोग एक सक्षम प्रावधान बनाने और आदेश को संशोधित करने दोनों के लिए किया जा सकता है। हालांकि, यह सच है कि 1961 में सर्वोच्च न्यायालय ने जम्मू-कश्मीर में इसे लागू करने के लिए संवैधानिक प्रावधानों को 'संशोधित' करने की राष्ट्रपति की शक्ति को बरकरार रखा, लेकिन एक सवाल यह है कि क्या इस तरह के आमूल-चूल परिवर्तन करने के लिए इसे लागू किया जा सकता है: एक कामकाजी राज्य दो केंद्रशासित प्रदेशों में द्विभाजित हो सकता है। यह समझ से बाहर है कि किसी भी राज्य विधायिका ने कभी भी अपनी विशेष स्थिति में अपनी खुद की अवनति की सिफारिश की होगी।

यह सच है कि जम्मू और कश्मीर की विशेष स्थिति समाप्त होने के लिए थी, लेकिन केवल अपने लोगों की सहमति से। केंद्र के अचानक इस कदम ने एक ऐसी स्थिति पैदा कर दी है, जो जम्मू और कश्मीर के जीवन और भावनाओं को सीधे प्रभावित करेगी।

इसके अलावा, राज्य में बड़े पैमाने पर सैन्य स्थिति और वरिष्ठ राजनीतिक नेताओं को उनके घर में ही कैद करना और संचार बंद करना, लोकतांत्रिक मानदंडों की उपेक्षा है। भौगोलिक रूप से, जम्मू और कश्मीर धर्मनिरपेक्ष भारत का ताज है - एक हिंदू बहुसंख्यक देश में मुस्लिम बहुल क्षेत्र। इसके लोगों और नेताओं ने इस्लामिक पाकिस्तान के ऊपर धर्मनिरपेक्ष भारत को चुना था, एक ऐसा तथ्य जो इस्लामवादियों के साथ कभी मेल नहीं खाता।

भाजपा की यह पहल अमेरिका द्वारा अफगानिस्तान से वापस लौटने की सोच की पृष्ठभूमि से संबंधित है, जो क्षेत्र में इस्लामवादी राजनीति में एक अप्रत्याशित बदलाव को गति प्रदान कर सकती है। इस्लामवादियों ने हमेशा कश्मीर को अपनी वैश्विक शिकायतों के एक घटक के रूप में देखा है। भारत के साथ जम्मू और कश्मीर के पूर्ण एकीकरण को सक्षम करने में मंशा जो भी हो, लेकिन सोमवार को इस राज्य की स्थिति को बदलने का निर्णय अनपेक्षित और खतरनाक परिणाम दे सकता है।

GS World टीम...

अनुच्छेद 35A तथा अनुच्छेद 370

चर्चा में क्यों?

- हाल ही में भारत सरकार ने जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले संविधान के अनुच्छेद-370 को हटाने और राज्य को दो हिस्सों में बांटने का फैसला किया है।
- इसके तहत दो केंद्रशासित प्रदेश बनाए जाएंगे- जम्मू-कश्मीर और लद्दाख। जम्मू कश्मीर में विधायिका होगी, जबकि लद्दाख में विधायिका नहीं होगी।
- केंद्र सरकार के इस फैसले को लेह-लद्दाख में ऐतिहासिक माना जा रहा है।नेता और धार्मिक संस्थाएं भी इसका स्वागत कर रही हैं।
- गौरतलब हो कि यह अनुच्छेद राज्य के स्थायी निवासियों को विशेष अधिकार प्रदान करता है।
- जम्मू-कश्मीर को संविधान के अनुच्छेद-35A एवं 370 द्वारा विशेष राज्य का दर्जा प्रदान किया गया है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस विशेष दर्जे को हटाने अथवा बनाये रखने के लिए चर्चा आरंभ की गयी थी।

क्या है 35A?

- जम्मू-कश्मीर विधान सभा को स्थायी नागरिक की परिभाषा तय करने का अधिकार देता है यह अनुच्छेद।
- अनुच्छेद 35A को मई, 1954 में राष्ट्रपति के आदेश द्वारा संविधान में जोड़ा गया।
- राज्य जिन नागरिकों को स्थायी घोषित करता है, केवल वही राज्य में संपत्ति खरीदने, सरकारी नौकरी प्राप्त करने एवं विधानसभा चुनावों में मतदान का अधिकार रखते हैं।

- यदि जम्मू-कश्मीर का निवासी राज्य से बाहर के किसी व्यक्ति से विवाह करता है तो वह यह नागरिकता खो देगा।
- 1954 के जिस आदेश से अनुच्छेद 35। को संविधान में जोड़ा गया था, वह आदेश अनुच्छेद-370 की उपधारा (1) के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा पारित किया गया था।

अनुच्छेद-370

- धारा 370 के प्रावधानों के अनुसार, संसद को जम्मू-कश्मीर के बारे में रक्षा, विदेश मामले और संचार के विषय में कानून बनाने का अधिकार है लेकिन किसी अन्य विषय से सम्बन्धित कानून को लागू करवाने के लिये केन्द्र को राज्य सरकार का अनुमोदन चाहिये।
- इसी विशेष दर्जे के कारण जम्मू-कश्मीर राज्य पर संविधान की धारा 356 लागू नहीं होती।
- इस कारण राष्ट्रपति के पास राज्य के संविधान को बर्खास्त करने का अधिकार नहीं है।
- जम्मू-कश्मीर के नागरिकों के पास दोहरी नागरिकता (भारत और कश्मीर) होती है।
- भारत की संसद जम्मू-कश्मीर के सम्बन्ध में अत्यन्त सीमित क्षेत्र में कानून बना सकती है।
- जम्मू-कश्मीर का राष्ट्रध्वज अलग है। वहां के नागरिकों द्वारा भारत के राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना अनिवार्य नहीं है।

संभावित प्रश्न (प्रारंभिक परीक्षा)

1. जम्मू-कश्मीर को संविधान के अनुच्छेद-35A एवं अनुच्छेद-370 द्वारा विशेष राज्य का दर्जा प्रदान किया गया है। इस सन्दर्भ में निम्नलिखित कथनों विचार कीजिए-

1. अनुच्छेद-35A को मई, 1954 में राष्ट्रपति के आदेश द्वारा संविधान में जोड़ा गया।
2. अनुच्छेद-370 के अनुसार, ससंद को जम्मू-कश्मीर के बारे में रक्षा, विदेश मामले और संचार के विषय में कानून बनाने का अधिकार है।
3. इस विशेष दर्जे के कारण जम्मू-कश्मीर राज्य में संविधान का अनुच्छेद-356 लागू नहीं होता।

उपर्युक्त में से कौन-से कथन सत्य हैं?

(a) 1 और 2
(b) 2 और 3
(c) 1 और 3
(d) उपर्युक्त सभी

Expected Questions (Prelims Exams)

1. Jammu and Kashmir has been provided the special state status through article-35A and article-370 of the Constitution. In this context, Consider the following statements-

1. Article-35A was added to the constitution by the Order of the President in 1954.
2. According to article-370, the Parliament has the right to make laws on the subjects of defence, foreign affairs and communication of the Jammu and Kashmir.
3. Due to this special status, article-356 doesn't apply to the state of Jummu and Kashmir.

Which of the above statements are correct?

(a) 1 and 2 (b) 2 and 3
(c) 1 and 3 (d) All of the above

संभावित प्रश्न (मुख्य परीक्षा)

प्रश्नः भारतीय संविधान के अनुच्छेद-35A और 370, जो जम्मू और कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देता है, को हटाना भारतीय संघ के लिए कितना प्रासंगिक है? चर्चा कीजिए। (250 शब्द)

Q. Discuss how relevant is the removal of article 35A and article-370 of the Indian Constitution which provide special state status to Jammu & Kashmir, for Indian Union.

(250 Words)

नोट : 5 अगस्त को दिए गए प्रारंभिक परीक्षा (संभावित प्रश्न) का उत्तर 1(d) होगा।